संख्या:9/2019/951/12-2-2019-बजट.4/2016

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2019

विषय: नेशनल क्राप इन्श्योरेनस प्रोग्राम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस-कैम्प944/एन0सी0आई0पी0/2018-19 दिनांक 14 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुदान सांख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान की योजना के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में हो रही बचतों से रूपये 7200.00 लाख (रूपये बहत्तर करोड मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से (फार्म बीएम-9 भाग-1 संलग्न) आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा। शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक/डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6. बचत की मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

7. जिस मद हेतु वस्तुत: धनराशि पुनर्विनियोग करायी जा रही है, धनराशि का व्यय उन्ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य न होगा।

8. प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता का किसी भी दशा में उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सांख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

10. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय बेवसाइट पर डाली जायेगी।

11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

12. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रपत्र बी0एम0-9 में बतायी गयी बचतों के सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

13. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या:यू0ओ0/ई-1-404/दस/2019 दिनांक 30 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 9/2019/951(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभगा-1 को बी0एम0-9 की 03 प्रतियों सहित।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iufofu;kx d fy, vkonu@Lohdfr
¼lnHk% ctV euvy dk iLrj&158½

vunku l[;k o uke% 11 df"k rFkk vU; lEc) foHkkx¼df"k½ foRrh; o"k 2018&19 ii= ch0,e0&09
¼/kujkf'k yk[k :0 e½

fuEufyf[kr fuf/k;k l iLrkfor lde.k				foRr foHkkx }kjk Hkjk tk	
y[kk 'kh"kd ¼15 fMftV dkM e½	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k vunku@fofu;kx	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k cpr	ldfer dh tku okyh /kujkf'k	foRr foHkkx }kjk lde.k gr vueknu /kujkf'k	lde.k d
1	2	3	4	5	
vunku l[;k&11 y[kk'kh"kd 2401&Qly df"k de 115&NkV@ mikUrd fdlkuk rFkk df"k Je dh ;ktuk 03&y?k rFkk lhekUr d"kdk d Qlyh _.k dk Hkxrku y[kk'kh"kd 240100115030020					
20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	134400.00	7200.00	7200.00	7200.00	
;kx	134400.00	7200.00	7200.00	7200.00	

fuEufyf[kr fuf/k;k d fy, iLrkfor lde.k				foRr foHkkx }kjk Hkjk tk;xk	
y[kk'kh"kd ¼15 fMftV dkM e½ 240100115030020	foRrh; o"k d fy, ikfo/kku@ fofu;kx	foRrh; o"k e iR;kf'kr dy 0;;	lde.k gr iLrkfor /kujkf'k	foRr foHkkx }kjk lde.k gr vueknu /kujkf'k	lde.k d i' fofu;kx ¼8+11
7	8	9	10	11	
vunku l[;k&11					
2401&Qly df"k de& 110& Qly chek 01& dUn i;kftr ;ktuk, 0102&u'kuy dki bU';kjUl ikxke ;ktuk					
27&lfClMh	45000-00	52200-00	7200-00	7200.00	52
;kxh	45000-00	52200-00	7200-00	7200.00	52

¼:0 cgRrj djkM ek=½

1& LrHk&2 e mfYyf[kr vunku d lki{k LrHk&3 e vfdr cpr fuEufyf[kr dkj.kk l g%&
ykHkkfFkZ;k dh l[;k vueku l de gku d dkj.kA
2& LrEHk&9 e mfYyf[kr 0;;kf/kD; fuEufyf[kr dkj.kk l g%&
oreku foRrh; o"k 2018&19 d vUrxr jkT;k'k dh n;rk dk Hkxrku rRdky fd;k tkkuk g] rkfd Qly d udlku dh {kfrifr chfer d"kdk dk dh tk ldA

l[;k vkjb 891@b&1 @nl&2019 fnukd 30 ekp] 2019

gLrk{kj%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
gLrk{kj&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

uke o inuke% mek dkUr ikBd] l;Dr lfpoA uke o inuke ¼uhy'k dekj flg½] mi lfpo] वित्त विभाग
i'kkldh; foHkkx& df"k foHkkx

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: (1) / 12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को बी0एम0-09 की 03 प्रतियों सहित।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।